भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. 232***
09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

**सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां**

***232. श्री संतोष कुमारः**
**श्री रेबती त्रीपुराः**
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार का निकट भविष्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने हेतु अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है;

**(ख)** यदि हां, तो विशेषकर बिहार में पूर्णिया जिले सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं उत्तर प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

**(ग)** क्या सरकार का विशेषकर बिहार में पूर्णिया जिले सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों को लाभान्वित करने हेतु लघु खाद्य पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

**(घ)** यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजनागत रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

**(ङ)** क्या छोटे और मध्यम किसानों को लाभान्वित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित कोई अन्य योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री**
**(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)**

**(क)से(ङ):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

******

**सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 232* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) और (ख):** प्रस्तावित ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंक्करण यूनिटों को आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता दिए जाने और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

**(ग) और (घ):** मंत्रालय ने उत्पादन क्षेत्रों के निकट आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जुलाई, 2017 में "कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन" स्कीम शुरू की थी । बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुमोदित की गई परियोजनाओं (30 जून, 2019 तक) का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है ।

**(ङ):** प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत सभी प्रमुख स्कीमें अर्थात मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन तथा ऑपरेशन ग्रीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को लाभ पहुंचाती हैं ।

*****

**संलग्नक**

**सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में 09 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 232* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**पीएमकेएसवाई की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित की गई परियोजना निष्पादन एजेंसी**

**(30.06.2019 तक की स्थिति)**

| **राज्य** | **आवंटित किए गए स्लॉटों की संख्या** | **प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या** | **अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या** |
|---|---|---|---|
| बिहार | 5 | 3 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 12 | 16 | 2 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| असम | 2 | 1 | 0 |
| सिक्किम | 1 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
| मणिपुर | 1 | 2 | 1 |
| मेघालय | 1 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| नागालैंड | 1 | 1 | 0 |
| **कुल** | **26** | **24** | **4** |